न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—244/2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. रानी पुत्री स्व. बुधराम धर्मपत्नी राज कुमार जाति मजबी (बाल्मिकी) निवासी वार्ड नं. 24 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रींगगानगर (राज.)
2. कृष्णा पुत्री स्व. बुधराम पत्नी नत्थूरामजाति मजबी (बाल्मिकी) निवासी भाणा तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)

—वादीगण

बनाम

1. सुलोचना धर्म पत्नी स्व. पालाराम पुत्र स्व. बुधराम } जाति मजबी (बाल्मिकी) निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सुमित पुत्र स्व. पालाराम } पुत्र स्व. बुधराम
3. प्रवीण पुत्री स्व. पालराम
4. सुनिलकुमार पुत्र स्व. पालाराम पुत्र स्व. बुधराम जाति मजबी (बाल्मिकी) निवासी इन्द्रपुरा नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुलोचना पत्नी स्व. पालाराम निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया।
5. श्वेता पुत्री स्व. सीमा } पुत्री स्व.बुधराम पत्नी सुन्दर जाति मजबी (बाल्मिकी) नि. वार्ड नं. 12 हनुमानगढ़ जं. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. धीरज पुत्र स्व. सीमा
7. ओबीसी बैंक शाखा धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1— श्री रामनिवास बेदी वकील वादीगण
2— श्री भीमसिंह छिम्पा — वकील प्रति सं. 5,6

निर्णय दिनांक :— 11.11.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे दर्ज है। चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 66/58 खाता बेगाराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के कुल सांझा खाता 8.853 है. नहरी कृषि भूमि मे से वादीगण के स्व. पिता बुधराम के नाम 2.361 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कुल 2.361 है. भूमि स्व. बुधराम की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। स्व.बुधराम का देहान्त निर्वसयति हो चुका है। इस बात को लेकर दोनो पक्षो में कोई विवाद नहीं है। स्व. बुधराम की मृत्यु के बाद स्व. बुधराम की कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 हक व हिस्सानुसार विरास्तन खातेदार काश्तकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित स्व.बुधराम के नाम दर्ज 2.361 है. कृर्षि भूमि आज वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण रकम राज आबायाना व पानी की बारी को लेकर बिना वजह विवाद रहता है। आज मौका

पर वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण की हिस्सा मुताबिक शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है। जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 विरास्तन हक व हिस्सा मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। गत माह वादीगण ने हल्का पटवारी को व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को नम्र निवेदन किया कि वो वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित स्व.बुधराम के नाम दर्ज 2.361 है. कृषि भूमि मे 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम बहिब व इसी अनुसार प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के नाम 1/4 हिस्सा बहिब व शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम बहिब राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे। तो वो पहले तो आजकल आजकल करते रहे परन्तु गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट् इन्कार हो गये बस यही वादकारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री दीपेन्द्र जाखड़ अधिवक्ता ने मीमो ऑफ अपिरियन्स दिनांक 15.01.2019 को पेश किया, कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकालतनामा पेश नहीं किया तथा अब वकालतनामा पेश नहीं करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 7 के विरूद्व उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादिया संख्या 1 रानी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ बुधराम, रामेश्वरी देवी, पालाराम, सीमा के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति मय बुधराम के वारिसान तस्दीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा से जारी पेश किया तथा पालाराम व सीमादेवी के वारिसान के सम्बन्ध में कृष्णा पुत्री बुधराम का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये तथा चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 66/58 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 खाता बेगाराम वगेरा प्रदर्श–1 करवाई गई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 66/58 खाता बेगाराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने बुधराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की चित्रप्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत काशीराम के वारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 66/58 खाता बेगाराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 प्रदर्श–1 करवाई गई जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी स्व. बुधराम के नाम दर्ज होने कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी क़ी घोषणा बाबत सहमति के जवाब दावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये

जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– मृतक बुधराम के नाम चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 66/58 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 मे से दर्ज भूमि का वादीगण को 1/2 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार व शेष हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/4 हिस्सा बहिब व शेष 1/4 हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक बुधराम का उक्त खाता से नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 244/2018

1. रानी पुत्री स्व. बुधराम धर्मपत्नी राज कुमार जाति मजबी (बाल्मिकी) निवासी वार्ड़ नं. 24 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रींगगानगर (राज.)
2. कृष्णा पुत्री स्व. बुधराम पत्नी नत्थूरामजाति मजबी (बाल्मिकी) निवासी भाणा तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)

–वादीगण

बनाम

1 सुलोचना धर्म पत्नी स्व. पालाराम पुत्र स्व. बुधराम
2 सुमित पुत्र स्व. पालाराम } पुत्र स्व. बुधराम
3 प्रवीण पुत्री स्व. पालराम
} जाति मजबी (बाल्मिकी) निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4 सुनिल कुमार पुत्र स्व. पालाराम पुत्र स्व. बुधराम जाति मजबी (बाल्मिकी) निवासी इन्द्रपुरा नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुलोचना पत्नी स्व. पालाराम निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया।
5 श्वेता पुत्री स्व. सीमा
6 धीरज पुत्र स्व. सीमा
} पुत्री स्व.बुधराम पत्नी सुन्दर जाति मजबी (बाल्मिकी) नि. वार्ड़ नं. 12 हनुमानगढ़ जं. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7 ओबीसी बैंक शाखा धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री भीम सिंह वर्मा वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती हैः–मृतक बुधराम के नाम चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 66/58 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 मे से दर्ज भूमि का वादीगण को 1/2 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार व शेष हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/4 हिस्सा बहिब व शेष 1/4 हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक बुधराम का उक्त खाता से नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.............नल.............मुब्लिक.......निल.....बाबत्.......निल....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.............................अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.11.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.28 16:47:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: